

No. of Printed Pages : 4

2015

विधि (राजस्व और दाण्डिक)

प्रश्न पत्र - III

**LAW (Revenue and Criminal)  
Paper - III**

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[ पूर्णांक : 200

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 200

**नोट :** अभ्यर्थी कुल छः (6) प्रश्नों का उत्तर दें, जिनमें खण्ड 'अ' से प्रश्न संख्या 1 तथा अन्य कोई दो प्रश्न तथा खण्ड 'ब' से प्रश्न संख्या 6 तथा अन्य कोई दो प्रश्न हों। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यतः एक साथ दिया जाय।

**Note :** Candidates should answer six questions in all, out of which they should answer question No. 1 and any other two questions from group 'A' and question No. 6 and any other two questions from group 'B'. Marks carried by each question are indicated at its end. The parts of same question must be answered together.

**खण्ड - अ / Group - A**

1. (अ) राज्य में आस्थान के निहित होने के क्या परिणाम हैं ? संक्षेप में वर्णन कीजिए। 20
- (ब) निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए : 10
  - (i) दानोत्तर
  - (ii) आस्थान
  - (iii) खान
- (स) भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों तथा कर्तव्यों में क्या शामिल है ? उल्लेख कीजिए। 10
- (a) What are the consequences of the vesting of an estate in the State ? Describe in brief.
- (b) Define the following : 10
  - (i) Charitable purpose
  - (ii) Estate
  - (iii) Mine
- (c) What is included in the functions and duties of the land management committee ? Discuss.

2. (अ) प्रत्येक मध्यवर्ती को (टेकेदार के अतिरिक्त) जिसके आस्थान उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के निर्देशों के अधीन हस्तगत कर लिये गये हों, पुनर्वास-अनुदान किस व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा तथा किस दिनांक से देय होगा ? **20**
- (ब) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 79 के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र के ब्यौरों (अन्तर्वस्तु) का उल्लेख कीजिए । **10**
- (a) Under which conditions and on which date the rehabilitation grant shall be paid to every intermediary (other than a thekedar) whose estate or estates have been acquired under the provisions of U.P.Z.A. & L.R. Act ?
- (b) Describe the contents of application under section 79 of the U.P.Z.A. & L.R. Act.
3. (अ) अधिवासी को कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? उसके लगान का नगदी में परिवर्तन (सारांशीकरण) किस प्रकार होगा ? **10**
- (ब) प्रतिकर विवरण-पत्र से क्या तात्पर्य है ? भू-धारक या अधिवासी को किन प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है ? **10**
- (स) भूमिधरों द्वारा देय मालगुजारी के अवधारण की क्या प्रक्रिया है ? **10**
- (a) What are the rights of an adhivasi ? How the rent payable by him shall be committed ?
- (b) What do you mean by compensation statement ? Under which provisions and conditions, a landholder or an adhivasi is entitled to receive compensation ?
- (c) Discuss the procedure for determination of land revenue payable by bhumidhars.
4. (अ) संक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर एवं असंक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर के अन्तर को समझाइए । किस भूमि में भूमिधरी, अधिकार प्राप्त नहीं होंगे ? **15**
- (ब) भूमिधर द्वारा अन्तरण पर क्या प्रतिबन्ध है ? पूर्णरूप से समझाकर बताइए । **15**
- (a) Distinguish between bhumidhar with transferable rights and bhumidhar with non-transferable rights. In which land bhumidhari rights shall not accrue ?
- (b) What are the restrictions on transfer by a bhumidhar ? Explain fully.
5. (अ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार किन अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और उनके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे ? **20**
- (ब) किसी वाद में भूमि के कृषि कार्य के प्रयोजन का तर्क प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रक्रिया क्या होगी ? **10**
- (a) Who are the officers of the State Government may appoint for carrying out the purposes of U.P.Z.A. & L.R. Act and what will be their powers and duties ?
- (b) What will be the procedure when plea of land being used for agricultural purposes is raised in any suit ?

